झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 2293/2023

बिप्लब रंजन चक्रवर्ती, उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता- स्वर्गीय बिनोद रंजन चक्रवर्ती , वर्तमान निवास- जे-1, प्रीथा अपार्टमेंट, 482, महामायातला, .डाकखाना-गरिया, थाना- नरेंद्रपुर, जिला कोलकाता 700084, पश्चिम बंगाल।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य,

2. विकास अग्रवाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता- श्याम सुंदर अग्रवाल, निवासी- गोविंदम, ग्वालापारा रोड, रेलवे फाटक के समीप, जुगसलाई, डाकखाना एंव थाना- जुगसलाई, टाउन जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम झारखंड राज्य के भीतर।

3. मेसर्स विकास ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक साझेदारी फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय जी.पी. रोड, जुगसलाई, डाकखाना एंव थाना- जुगसलाई, जिला सिंहभूम पूर्व (झारखंड) में स्थित है, अपने भागीदार द्वारा अर्थात विकास अग्रवाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता- श्याम सुंदर अग्रवाल, निवासी- गोविंदम, ग्वालपाड़ा रोड, रेलवे फाटक के समीप, जुगसलाई, डाकखाना एंव थाना जुगसलाई, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड राज्य के भीतर।

..... विपक्षीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सुमीत गड़ोदिया, अधिवक्ता

श्रीमती शिल्पी सांडिल गड़ोदिया, अधिवक्ता

श्री एन. चौबे, अधिवक्ता

सुश्री श्रुति शेखर, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री भोला नाथ ओझा, अपर लोक अभियोजक.

विपक्षी संख्या 2 और 3 की ओर से : श्री अनुराग कश्यप, अधिवक्ता

सुश्री सुप्रिया दयाल, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षकारों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर किया गया है, जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा परिवाद मामला सं. 1725/2022 में पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत और जिसके द्वारा निचली अदालत ने अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उसके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता (परिवादी) ने मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. नामक कंपनी को 74,98,262/- रुपए की दवाइयां सप्लाई कीं और कंपनी ने कुल 65-66 लाख रुपए का भुगतान किया, लेकिन 8,00,000/- रुपए का भुगतान नहीं किया और परिवादी द्वारा उक्त दवा की आपूर्ति के लिए कंपनी के साथ संविदा करते समय जमा की गई सिक्युरिटी डिपॉजिट (security deposit) भी वापस नहीं की।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. भारत सरकार का उद्यम है और सीधे परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के नियंत्रण में है और याचिकाकर्ता कंपनी का उप महाप्रबंधक (खरीद) है। [Deputy General (Purchase)] आगे यह कहा गया कि स्वीकृत रूप से परिवादी ने खरीद आदेश प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद सामान वितरित किया जो एन.आई.टी. / संविदा की शर्तों का उल्लंघन था क्योंकि आपूर्ति में कुल देरी निर्धारित तिथि से 10 सप्ताह से अधिक थी। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि परिवादी डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार पहले खेप की आपूर्ति करने में अचानक विफल रहा है, जिसके लिए खरीद आदेश की शर्तों और नियमों के खंड-5 के तहत सहमत परिसमापन क्षतिपूर्ति (Liquidation damages) को आकर्षित करता है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि कंपनी को खरीद आदेश की शर्तों और नियमों के खंड-6 के तहत सिक्युरिटी डिपॉजिट (security deposit) को जब्त करने का अधिकार है और ठेकेदार को आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर ऑर्डर के कुल मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जिस में विफल होने पर पहला भुगतान जारी करते समय सिक्युरिटी डिपॉजिट वसूल की जा सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि परिवादी ने

51 दवाओं के ऑर्डर में से तीन दवाओं की आपूर्ति नहीं की है, इसलिए संविदा/निविदा के तहत कंपनी को 3,83,863/- रुपये की सिक्युरिटी डिपॉजिट को जब्त करने का अधिकार है और परिवादी को ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना दी गई है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि स्वीकृत रूप से कंपनी ने परिवादी को पहले ही 74,83,241/- रुपये का भुगतान कर दिया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि संविदा में मध्यस्थता के वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान है, लेकिन इसका अनुपालन किए बिना, परिवादी ने बदला लेने के लिए यह आपराधिक मामला दर्ज किया है। इसके बाद यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के उपक्रम के अधीन एक कर्मचारी है और उसने अपनी आधिकारिक क्षमता में काम किया है; दं.प्र.सं. की धारा 197 के प्रावधान के मद्देनजर, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी के अभाव में याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन ग्राह्य नहीं है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा **चंदन कुमार गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य** के मामले में इस न्यायालय द्वारा 27 जून, 2023 को अपराधिक विविध याचिका संख्या 1221/2022, में पारित निर्णय का अवलम्बन लेते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तात्विक तथ्य स्थापित की जानी चाहिए: -

(i) दुराशय

(ii) इसमें बेईमानी से दुर्विनियोग या अपने स्वयं के उपयोग के लिए रूपांतरण, या किसी कानूनी निर्देश या किसी विधिक संविदा का उल्लंघन करते हुए उपयोग होना चाहिये

(iii) अभियुक्त ने बेईमानी से संपत्ति का उपयोग या निपटान किया हो

और भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध घटित होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं: -

(i) किसी व्यक्ति को गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या बेईमानी से छुपाकर या किसी अन्य कार्य या लोप के द्वारा धोखा देना,

(ii) उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को सौंपने या किसी व्यक्ति द्वारा उसके प्रतिधारण के लिए सहमति देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करना या उस व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या करने से रोकने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करता या करने में लोप नहीं करता अगर उसे इस तरह से धोखा नहीं दिया गया होता और

(iii) ऐसा कार्य या लोप उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है या पहुंचाने की संभावना है, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

(2009) 8 एस. सी.सी. 751 में प्रकाशित, मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में निर्धारण किया है

6. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी आवश्यक तथ्यात्मक तत्व की अनुपस्थिति में, भा.दं.सं. की धारा 420 या 406 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा परिवाद मामला सं. 1725/2022 में पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश और परिवाद मामला सं. 1725/2022 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, को अपास्त एंव रद्द किया जाए।

7. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक एंव विपक्षी सं. 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा परिवाद मामला सं. 1725/2022 में पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश और परिवाद मामला सं. 1725/2022 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, को अपास्त एंव रद्द किये जाने की याचिकाकर्ता की ओर से किए गए प्रार्थना का पुरज़ोर विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि यहां इस मामले में याचिकाकर्ता के विरुध्द 8,00,000/ रूपये का धोखाधड़ी करने का प्रत्यक्ष और स्पष्ट अभियोग है। इसलिए भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत याचिकाकर्ता के विरुध्द मामला बनता है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि इस अपराधिक विविध याचिका को, जो बिना योग्यता के है, ख़ारिज कर दिया जाए।

8. न्यायालय के समक्ष किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान पूर्वक अध्यन बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध घटित होने के लिए, अभियुक्त का प्रारंभ से ही पीड़ित को धोखा देने का इरादा होना चाहिए जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दलीप कौर और अन्य बनाम जगनार सिंह और अन्य, (2009) 14 एस.सी.सी. 696** में रिपोर्ट किए गए मामले में निर्धारित किया है, जिसका पैरा 10 इस प्रकार है: -

> *"10. इसलिए, उच्च न्यायालय को यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि क्या अपीलकर्ता की ओर से किसी प्रलोभन का मामला दूसरे उत्तरवादी द्वारा उठाया गया है तथा क्या अपीलकर्ता का आरंभ से ही उसे धोखा देने का इरादा था। यदि पक्षों के बीच विवाद, अनिवार्य रूप से एक सिविल विवाद था, जो अपीलकर्ताओं की ओर से अग्रिम राशि वापस न करने के कारण संविदा के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था, तो यह छल का अपराध नहीं माना जाएगा।* भा.दं.सं. *की धारा 405 में दी गई परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक न्यासभंग के अपराध के संबंध में भी विधिक स्थिति*

ऐसी ही है। (देखें अजय मित्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2003) 3 एस.सी.सी. 11 : 2003 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 703])" (जोर दिया गया)

9. यह भी विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक न्यासभंग का मामला बनाने के लिए यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त द्वारा धन प्रतिधारित किया गया है। यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने किसी प्रकार से बेईमानी से उसका निपटान किया या बेईमानी से उसे अपने पास रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने परिवादी को धन का भुगतान नहीं किया, आपराधिक न्यासभंग नहीं माना जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बिनोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2014) 10 एस.सी.सी. 663** में रिपोर्ट किए गए मामले में माना है, जिसका पैराग्राफ-18 इस प्रकार है:-

"18. वर्तमान मामले में, परिवाद में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि भा.द.सं. की धारा 405 के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसी तरह, अपीलकर्ताओं द्वारा छल या बेईमानी से पैसे को अपने पास रखने के इरादे से स्वयं को सदोष लाभ पहुँचाने या शिकायतकर्ता (परिवादी) को सदोष हानि पहुँचाने के आरोप नहीं हैं। इस स्पष्ट आरोप को छोड़कर कि अपीलकर्ताओं ने दूसरे उत्तरवादी को भुगतान नहीं किया और अपीलकर्ताओं ने राशि का उपयोग या तो स्वयं किया या किसी अन्य कार्य के लिए किया, संपत्ति के दुरुपयोग के बेईमान इरादे के बारे में लेशमात्र भी आरोप नहीं है। <u>आपराधिक न्यासभंग का मामला बनाने के लिए यही दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने पैसे को अपने पास रखा है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने किसी तरह से बेईमानी से उसका निपटान किया या बेईमानी से उसे अपने पास रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने परिवादी को पैसे का भुगतान नहीं किया, आपराधिक न्यासभंग नहीं है।</u>" (जोर दिया गया)

10. अब, मामले के तथ्यों पर आते हैं, कंपनी ने परिवादी को पर्याप्त राशि का भुगतान किया है क्योंकि आपूर्ति की गई राशि 74,98,262/- रुपये में से 74,83,241/- रुपये की राशि निर्विवाद रूप से पहले ही भुगतान की जा चुकी है और इस तथ्य को परिवादी द्वारा विवादित भी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि संविदा के तहत कंपनी को सिक्युरिटी डिपॉजिट को जब्त करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में, यह सुझाव देने वाले किसी भी सामग्री के अभाव में कि, याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही परिवादी/विपक्षी संख्या 2 को धोखा देने का कोई इरादा था, भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनता है और इस तरह के किसी भी अभियोग के अभाव में कि याचिकाकर्ता ने परिवादी /विपक्षी संख्या 2 के पैसे को बेईमानी से अपने पास प्रतिधारित किया है या बेईमानी से उसका निपटान किया है, भा.दं.सं. की धारा 406 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा परिवाद मामला सं. 1725/2022 में पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश को जारी रखना और परिवाद मामला सं.

1725/2022 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित है, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और, यह एक उपयुक्त मामला है, जहां इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा परिवाद मामला सं. 1725/2022 में पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश और परिवाद मामला सं. 1725/2022 में की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी, को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रद्द और अपास्त किया जाता है।

13. परिणामतः, यह अपराधिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

14. वर्तमान अपराधिक विविध याचिका के निष्पादन के मद्देनजर, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 851/2024, निष्फल होने के कारण, तदनुसार निष्पादित हो जाता है।

(न्यायमूरिति, अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक, 26 फरवरी, 2024
ए.एफ.आर. /अनिमेष

यह अनुवाद मो. अशरफ हुसैन अंसारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।